

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

आयुक्त,
पटना प्रमण्डल, पटना।

पटना दिनांक...२९-६-१६....

विषय:- बक्सर जिला के लिए सरकारी वकील की नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके सचिव के पत्रांक-११७५, दिनांक-१७.१०.२०१६ के प्रसंग में मुझे यह कहने का निदेश है कि राज्य सरकार ने श्री प्रभुनाथ सिंह, अधिवक्ता, पंजीयन सं०-४७८/१९७३ बक्सर को बक्सर जिला के लिए उनके द्वारा पद ग्रहण की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिये, सरकारी वकील नियुक्त करने की कृपा की है।

२. उनकी नियुक्ति का आदेश समाहर्ता द्वारा श्री प्रभुनाथ सिंह को अग्रसारित करने के लिए संलग्न किया जाता है।

३. नियुक्ति के उक्त आदेश की एक प्रति आपके कार्यालय में अभिलेख हेतु भी संलग्न किया जा रहा है।

४. महालेखाकार, बिहार को अलग से सूचित किया जा रहा है।

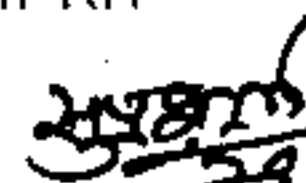
विश्वासभाजन

x 
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...३६०६.../जे०, पटना, दिनांक...२९-६-१६....

प्रतिलिपि:- श्री प्रभुनाथ सिंह, अधिवक्ता, बक्सर को बक्सर जिला के लिए सरकारी वकील के पद पर नियुक्ति के आदेश की प्रति संलग्न सहित जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बक्सर/समाहर्ता, बक्सर तथा महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

x 
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...३६०६.../जे०, पटना, दिनांक...२९-६-१६....

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

x 
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

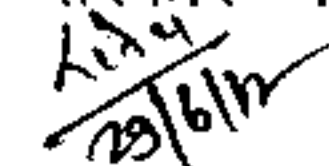
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक...३६०६.../जे०, पटना, दिनांक...२९-६-१६....

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

x 
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।



बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री प्रभुनाथ सिंह,
अधिवक्ता,
व्यवहार न्यायालय, बक्सर।

पटना दिनांक 29-6-17

महाशय,

मुझे कहने का निदेश है कि राज्य सरकार ने आपको बक्सर जिला के लिए आपके द्वारा पदग्रहण की तिथि से तीन वर्षों के लिए, जिसमें प्रथम वर्ष परीक्ष्यमान रूप में होगा, सरकारी वकील नियुक्त करने की कृपा की है।

2. इसके लिए सिर्फ समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिधारण शुल्क एवं दैनिक शुल्क देय होगा।

3. सरकारी वकील के रूप में आपके निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

(क) बक्सर जिला से संबंधित मामलों में बिहार सरकार तथा भारत सरकार के विभागाध्यक्षों तथा अन्य पदाधिकारियों को कानूनी परामर्श देना।

(ख) बक्सर जिला के उपर्युक्त न्यायालयों के समक्ष राज्य एवं संघ सरकार अथवा उनके संबंधित पदाधिकारियों का जिलान्तर्गत उपस्थित होने वाले सभी कानूनी विषयों में प्रतिनिधित्व करना है।

(ग) उक्त अवधि में आपको बक्सर जिला के दीवानी न्यायालयों में सभी दीवानी मुकदमों में सरकार की ओर से उपस्थित होने तथा प्रतिनिधित्व करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। साथ ही आपको बक्सर जिलान्तर्गत सरकारी वकील के अन्य प्रासंगिक कर्तव्यों का भी अनुपालन करना है।

(ध) किसी भी न्यायालय में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे।

विश्वासभाजन

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

29/6/17